न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

(पीठासीन) अधिकारी का नामः राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.
(वाद) पत्र संख्याः 128/2021
(निर्णय) दिनांकः 27/4/2022

(राम)नारायण पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील सांगानेर जिला (ज)यपुर।

वादी

बनाम

(1. त)हसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।
(2.) उप तहसीलदार उप तहसील कार्यालय बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत सीमाज्ञान, इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम जगन्नाथपुरा पोस्ट अजयराजपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी के पिता नाथू के नाम मुताबिक जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 में वर्णित खसरा नम्बर 47 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा उक्त खसरे की भूमि के एक भाग पर वादी के पूर्वज दादा व पिता द्वारा अपने जीवन काल में ही कच्ची पक्की तामीरात करवाकर आबादी के रूप में निवास हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा था। तथा उक्त भाग में अलग से वादी के पूर्वजों के समय से ही मवेशीयों को बांधने के लिए कच्ची पक्की तामीरात करवाकर उपयोग उपभोग किया जा रहा है। उपरोक्तानुसार वादी पूर्वजो व उनके उपरान्त वादी उक्त सम्पत्ति पर आबादी के रूप में निवास हेतु उपयोग उपभोग निरन्तर किया जा रहा है। जो वादी व उसके परिवार के सदस्यों की कब्जे व स्वामित्व की सम्पत्ति है। जिस पर वादी व उसका परिवार आज दिवस तक शांतिपूर्वक निर्बाध रूप से काबिज चला आ रहा है। उक्त खसरा नम्बर 47 का नवीन आकलन मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 में दर्ज खसरा नम्बर 187 व 189 है। उपरोक्त सम्पत्ति ग्राम जगन्नाथपुरा की आबादी के समीप है जिस पर वादी पुख्ता तामीरात का निर्माण कर निवास कर रहा था तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पूर्व में दिनांक 14.02.2018 को वादी को उसके पुख्ता तामीरात हटाने एंव निर्माण को तोडने की धमकी देने पर वादी के द्वारा न्यायालय श्रीमान अपर सिविल न्यायाधीश कम 26 सांगानेर जयपुर महानगर (जो वर्तमान में अपर सिविल न्यायाधीश कम 17, सांगानेर जयपुर महानगर के नाम से संचालित है) के समक्ष एक वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मय अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा प्रार्थी/वादी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाकर वादी की उक्त सम्पत्ति पर तोडफोड नही एंव वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नही करने बाबत पाबन्द किया गया था। वादी दिनांक 03.08.21 को उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पर कामकाज कर रहा था तब अचानक करीवन 10–11 बजे प्रतिवादी संख्या 2 वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को लेकर आयी और वादी को कहा कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर बने हुए निर्माण को हटाकर कब्जा खाली कर दो क्योंकि वादग्रस्त सम्पत्ति पर से प्रतिवादीगण द्वारा आबादी को जोडने के लिए अलग से रास्ता कायम किया जावेगा। उक्त रास्ता कायम करने हेतु जगन्नाथपुरा ग्रामवासीयों ने प्रतिवादी संख्या 1 को आवेदन करने पर वादग्रस्त सम्पत्ति पर से नया रास्ता कायम करने का आदेश दिया जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादी 2 से कहा कि उक्त सम्पत्ति वादी के कब्जे व स्वामित्व की है इसलिए प्रतिवादीगण को रास्ता कायम करने का कोई विधिक अधिकार नही है तब प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा कि आपके खाते की वादग्रस्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 187

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बन्दी 2073 से 2076 में आपके खाते में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। इस
ण उक्त सम्पत्ति पर बने तामीरात एक माह में हटाकर कब्जा खाली करने की मौखिक
की वादी को दी जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन करने हेतु कहा कि
त खसरा पर न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश कम 17, सांगानेर जयपुर महानगर
रा स्थगन आदेश पारित कर रखा है तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश एंव उक्त भूमि
ा पुराना रिकॉर्ड वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को दिखाया गया जिस पर उस समय
ो प्रतिवादी संख्या 3 वंहा से चला गया। किन्तु दिनांक 06.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 2
न: करीब 40–50 पुलिस के जवान, दो जेसीबी एंव ट्रैक्टर लेकर आया और खसरा नम्बर
86 में बनाये गये अतिक्रमण को तोडने को ऐलान किया गया तथा ऐलान करने के तुरन्त
ाद तोड़फोड शुरू कर दी जिस पर वादी के द्वारा कहा गया कि वादी को निर्माण तो
ख़सरा नम्बर 187 में आता है किन्तु बिना वादी की एक भी सुने वादी के बने हुए कच्चे
पक्के तामीरात को तोड दिया इस प्रकार वादी के सम्पूर्ण सामान को नष्ट कर दिया गया
तथा वादी को अपने स्तर पर सामान हटाने का भी समय नही दिया गया। खसरा नम्बर
47 के नवीन खसराओं का विभाजन करते वक्त सैटलमेन्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों
की भूल या त्रुटिवश या अन्य किसी व्यक्ति की साज से वादी की उक्त सम्पत्ति खसरा
नम्बर 187 रकबा 0.02 गैरमुमकिन रास्ता का आकलन सहवन से दर्ज हो गई। जबकि
मुताबिक पुराने रिकॉर्ड जमाबन्दी अनुसार उक्त खसरे का पुराना खसरा नम्बर 47 में उक्त
भूमि कृषि भूमि के रूप वादी के पिता के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज है। विधि का
सुस्थापित सिद्धान्त है कि एक बार जो भूमि खातेदारी के रूप राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्ठयां
होने जाने के पश्चात् उस खातेदार की भूमि के सम्बन्ध में बिना खातेदार की सहमति के
और बिना कानूनी प्रकिया अपनाये भूमि की किस्म बदलने का अधिकार नही है जिससे
स्पष्ट है कि वादग्रस्त सम्पत्ति के खसरा नम्बर 187 या तो लिपिकिए भूल या ऋूटिवश गैर
मुमकिन रास्ता दर्ज हो गया या किसी व्यक्ति द्वारा कर्मचारियां से सांठ–गांठ कर गैर
मुमकिन रास्ता दर्ज करवाया गया है। दिनांक 02.092021 को पुनः प्रतिवादी संख्या 1 वादी
की वादग्रस्त सम्पत्ति पर पुनः आकर कहा कि उपरोक्त खसरा नम्बर मेंसे ग्राम की आबादी
को जोडने के लिए व रास्ता सीधा करने के लिए पक्का रास्ता कायम किया जायेगा। इस
पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि उक्त सम्पत्ति वादी के स्वामित्व व कब्जे की
होने से प्रतिवादी संख्या 1 को पक्का रास्ता कायम करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त
नही होते है जिस पर प्रतिवादी ने कहा कि वादी के ग्रामवासियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2
को रास्ता सीधा करने के लिए आवेदन किया है जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी
संख्या 1 को उक्त खसरे में से रास्ता सीधा कर पक्का रास्ता कायम करने के लिए मौका
रिपोर्ट बनाकर रास्ता कायम करने हेतु निर्देशित किया है ऐसी स्थिति में वादी मुस्हक है
कि प्रतिवादीगण को इस आशय की अमर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी
है कि वादी के कब्जे एंव स्वामित्व की आराजी कृषि भूमि पर जबरन पक्का रास्ता बनाकर
वादी को बेदखल नही करें एंव सैटलमेन्ट अधिकारीयों की भूल या ऋूटिवश या अन्य किसी
व्यक्ति की साज से वादी की उक्त सम्पत्ति खसरा नम्बर 187 रकबा 0.02 गैर मुमकिन
रास्ता का आंकलन, जो कि सहवन से दर्ज हो गई है, को दुरूस्त करवाने का अधिकारी
है। वादी की उक्त स्वामित्व व कब्जे की कृषि भूमि पर से बिना अधिकार के, बिना कानूनी
प्रकिया अपनाये, अवैधानिक रूप से, मनमाने ढंग से कुछ ग्रामवासियों के दबाव व प्रभाव से
प्रतिवादीगण द्वारा अविधिपूर्ण से पक्का रास्ता कायम करने पर आमादा है, जबकि उक्त
सम्पत्ति वादी की खातेदारी व कब्जे की सम्पत्ति है और आराजीयात पर से पूर्व में
कोई भी रास्ता नही चल रहा है। इसलिए प्रतिवादीगण को ऐसा वैधानिक अधिकार
प्राप्त नही है कि वादी की सम्पत्ति पर से बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पक्का रास्ता
कायम करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के
उक्त अवैधानिक कृत्य को रोकने के लिए उक्त वाद पेश करना लाजिमी हुआ है। वाद पत्र
के लिए बिनाय दावा दिनांक 06.08.2021 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वादग्रस्त कच्चे
पक्के निर्माण को तोडने व उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने कर्मचारियों के
साथ वादी की विवादग्रस्त सम्पत्ति पर आकर नाप जोख करने लगे तो वादीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:27 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

[द्ध] किये जाने पर प्रतिवादीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि वे वादी की स्वामित्व व कब्जे [की] सम्पत्ति से वादी को बेदखल कर पक्का रास्ता बनाकर रहेगें, की धमकी देने से [निर]न्तर जारी है। वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर [प्रति]वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात [ख]ातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न करें, ना ही कोई [क]च्चा–पक्का रास्ता निकाले तथा आज की स्थिति यथावत रखें। तथा वादी की खातेदारी [भ]ूमि की बिना सीमाज्ञान करवायें और बिना पत्थरगढी करवाये वादी की खातेदारी भूमि में [अ]वैध व गैरकानूनी निर्माण नही करवाये व कोई व्यवधान पैदा न स्वंय करें न एजेन्ट, [स]र्वेन्ट व अन्य से करावें तथा वादग्रस्त भूमि के किस्म बाबत हुए दर्ज इन्द्राज को दुरूस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड व नक्श में इन्द्राज दुरूस्त किया जावें।

वकील वादी ने दस्तावेज सूची के साथ आदेश जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 की प्रमाणित प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, सिविल न्यायालय कम संख्या 17 सांगानेर की आदेशिका की प्रमाणित प्रति आदि पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से उप तहसीलदार बगरू तहसील सांगानेर ने उपस्थित होकर दिनांक 16.03.2022 को बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की, जिसके बिन्दु संख्या 1 अनुसार ग्राम जगन्नाथपुरा के गत खसरा नम्बर 47 रकबा 1–18 बीघा किस्म बंजड 1 को सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बन्दोबरत अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के दौरान दिनांक 25.05.90 को बन्दोबरत प्रकिया समाप्त करते हुए नवीन खसरा नम्बर 187 रकबा 0.02 किस्म गैर मु. रास्ता एंव खसरा नम्बर 189 रकबा 0.84 बारानी द्वितीय किया गया थे (मिलान क्षेत्रफल, सेंटलमेन्ट खतौनी खाता सं 5 एंव सेटलमेन्ट पूर्ण संख्या 2039–42 की जमाबन्दी की छायाप्रति संलग्न है), बिन्दु संख्या 2 व 3 वादी स्वंय सिद्ध करें, बिन्दु संख्या 4 का जवाब बिन्दु संख्या 1 अनुसार है, बिन्दु संख्या 5 अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरान 187, 189 पर रास्ते संबधी कार्यवाही नही की गई है बल्कि ख0 नं0 186 एंव 222 पर की गई जिसके साक्ष्य में मौका पर्चा की छाया प्रति संलग्न है। बिन्दु संख्या 6 अनुसार उक्त खसरा नम्बरान् पर रास्ते सम्बंधी कोई कार्यवाही विचाराधीन नही है। बिन्दु संख्या 7 अनुसार दिनांक 06.08.2021 को ग्राम जगन्नाथपुरा के खसरा नम्बर 186 गैर मु. रास्ता एंव ख. नं. 222 आबादी से रास्ते सम्बंधी कार्यवाही की गई है जिसका मौका पर्चा की छाया प्रति संलग्न है। बिन्दु संख्या 8 लागू नही, बिन्दु संख्या 9 न्यायालय से सम्बंधित है, बिन्दु संख्या 10 न्यायालय से सम्बंधित है। बिन्दुवार जवाब श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है। वादी की ओर से अपना साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, दौराने सत्यापन पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 पर प्रदर्श–1, प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस पर प्रदर्श–2, प्रमाणित प्रति टी.आई. प्रार्थना पत्र व आदेशिका सिविल न्यायालय कम संख्या 17, सांगानेर पर प्रदर्श–3, प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2042 पर प्रदर्श–4 व प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल पर प्रदर्श–5 अंकित किये गये।

प्रकरण में वादी को बहस अन्तिम पर सुना गया। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए खसरा नम्बर 187 रकबा 0.02 हैक्टेयर की किस्म बाबत हुए गलत इन्द्राजात को दुरूस्त किये जाने का एंव प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली [illegible] का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 47 रकबा 1 बीघा [illegible] की किस्म प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 के अनुसार बंजड [illegible] रही है तथा दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त साबिक खसरा नम्बर 47 के नये खसरा नम्बर 187 रकबा 0.02 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 189 रकबा 0.84 हैक्टयर बने, खसरा नम्बर 189 की किस्म बारानी द्वितीय अंकित की गयी, जबकि खसरा नम्बर 187 की किस्म बंजड 1 के स्थान पर गैर मु. रास्ता अंकित कर दी गयी, उपतहसीलदार बगरू की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ट के अनुसार खसरा नम्बर 187 व 189 के बाबत रास्ते सम्बन्धी कोई कार्यवाही नही गयी है बल्कि खसरा नम्बर 186 व 222 के बाबत की गयी है, इस प्रकार उप सीलदार बगरू द्वारा प्रेषित जवाब रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 187 के बाबत स्ते सम्बंधी कोई कार्यवाही नही की गयी है तथा उक्त खसरा नम्बरान् पर रास्ते सम्बन्धी ोई कार्यवाही विचाराधीन नही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 186 पर की गई ास्ते सम्बन्धी कार्यवाही को खसरा नम्बर 187 पर अंकित कर दिया गया है जो दुरूस्त किया जाना हम उचित समझते है, भू–प्रबन्ध विभाग को दौराने भू–प्रबन्ध कार्यवाही पूर्व प्रविष्टीयों में फेरबदल करने का अधिकार नही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी उचित आदेश के पूर्व से मौजूदा किस्म को गैर मु. रास्ते में तब्दील किया जाना उचित नही है।

इस प्रकार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम जगन्नाथपुरा पटवार हल्का अजयराजपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कलवाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.02 हैक्टयर किस्म गैर मु. रास्ता की किस्म बाबत हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 187 रकबा 0.02 हैक्टयर की किस्म गैर मु. रास्ता के स्थान पर बंजड 1 किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय एंव डिक्री की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.08.12 11:07:27 IST
Reason: SelfAttested